अतिमहत्वपूर्ण

संख्या:17/2017/901जेएल/22-3-17-38/2005

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-जिलाधिकारी 2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
बस्ती/सीतापुर/गोण्डा/ललितपुर/सहारनपुर/झांसी/बागपत/मुजफ्फरनगर/कन्नौज/फर्रूखाबाद/
बलिया/आगरा/बांदा/खीरी/उन्नाव/देवरिया/मीरजापुर/रामपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 07 अप्रैल, 2017***

विषय- प्रदेश की कारागारों में बंदियों की अवांछित गतिविधियों पर नियंत्रण एवं मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न शासनादेशों द्वारा (संलग्न सूची के अनुसार) प्रशासनिक आधार पर बंदियों का स्थानान्तरण किया गया है। इनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके द्वारा जेल के भीतर किसी प्रकार की अनधिकृत सामग्री एवं मोबाइल का उपयोग न किया जाय ताकि वे कारागार में अपराधिक गतिविधियों का संचालन न कर सके। इन बंदियों को अनुमन्य सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कोई सुविधा कदापि न प्रदान की जाय।

2- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त बंदियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के संचालन एवं प्रतिबन्धित सामग्री का प्रयोग किये जाने की सूचना यदि शासन में प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्या:17/2017/901जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि- उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित:-

1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों (एस0टी0एफ0 एवं ए0टी0एस0) को निर्दिष्ट करें कि जेल से किसी अपराधी द्वारा अवांछित गतिविधियों के संचालन एवं मोबाइल फोन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इस हेतु सम्बन्धित कारागारों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in